

झारखण्ड सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं० - स्था०-03/2015.....26.....

राँची, दिनांक- 31/10/19

झारखण्ड विज्ञापन नियमावली-2019 के नियम 24.2 के आलोक में निम्न प्रकार से विज्ञापन निर्गम एवं भुगतान की शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है-

क्रम		राज्य की स्वीकृत सूची में शामिल वैसे माध्यम जिन्हें DAVP दर प्राप्त है	राज्य की स्वीकृत सूची से बाहर वैसे माध्यम जिन्हें DAVP दर प्राप्त है	राज्य की स्वीकृत सूची से बाहर वैसे माध्यम जिन्हें DAVP दर प्राप्त नहीं है	स्मारिका	विभिन्न कार्यक्रमों के प्रायोजन हेतु
00	01	02	03	04	05	06
1	निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय	10,00,000/- (दस लाख) तक	1,00,000/- (एक लाख) तक	शून्य	शून्य	शून्य
2	विभागीय सचिव	20,00,000/- (बीस लाख) तक	10,00,000/- (दस लाख) तक	शून्य	शून्य	शून्य
3	विभागीय मंत्री	20,00,000/- (बीस लाख) से अधिक	10,00,000/- (दस लाख) से अधिक	25,00,000/- (पच्चीस लाख) तक	5,00,000/- (पांच लाख) तक	25,00,000/- (पच्चीस लाख) तक
4	माननीय मुख्यमंत्री	-	-	25,00,000/- (पच्चीस लाख) से अधिक	5,00,000/- (पांच लाख) से अधिक	25,00,000/- (पच्चीस लाख) से अधिक

2. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. पूर्व में निर्गत एतद्संबंधी आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
4. उक्त पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रमाकांत सिंह)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:- स्था०-03/2015.....

राँची, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:- स्था०-03/2015.....

राँची,दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:- स्था०-03/2015...589..

राँची,दिनांक-31.10.19

प्रतिलिपि:-नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।